



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या-1642-औ०सं०/2014-1-ए०एस०/14

दिनांक 27 मई, 2014

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को
विद्युत वितरण निगम लि०,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को कानपुर।

विषय :- उ०प्र० जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 के अन्तर्गत अधिसूचना सं०-375/91-2013
दिनांक 27.11.2013 में निहित निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

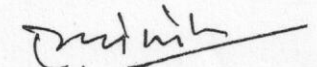
महोदय,

उक्त विषयक प्रकरण में उ०प्र० शासन लोक सेवा प्रबन्ध अनुभाग की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, मृतकाश्रित की नियुक्ति एवं विद्युत दुर्घटनाओं के प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में किये जाने हेतु कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-686-औ०सं०/2014-1-ए०एस०/2014 दिनांक 28.02.2014 द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु परामर्शित किया गया है।

इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबन्ध विभाग उ०प्र० शासन ने अपने पत्र सं०-221/91-2014 दिनांक 02.05.2014 द्वारा निर्देशित किया है कि अधिसूचना में शामिल सेवाओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी/पुनरीक्षण अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी नामित कर सूचना लोक सेवा प्रबन्ध विभाग को उपलब्ध करायेंगे किन्तु नामित अधिकारियों की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं की जा सकी है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उ०प्र० जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के समयबद्ध ढंग से निस्तारण हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी/पुनरीक्षण अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी 15 दिन के अन्दर नामित करते हुए कारपोरेशन के सूचनाधीन लोक सेवा प्रबन्ध विभाग को अवश्य अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(राधे मोहन)

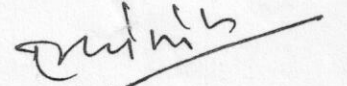
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या-1642-औ०सं०/2014/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सचिव (ऊर्जा)/श्री सुरेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव (ऊर्जा) उ०प्र० शासन बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

4. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध कराने हेतु।
5. समस्त उप महाप्रबन्धक (औसत)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
6. समस्त अपर सचिव (प्रथम)/संयुक्त सचिव (काविनी एवं विनियम) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।
8. सचिव, विद्युत पेन्शनर्स परिषद, उ०प्र०, 103-कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
9. संयुक्त सचिव (काविनी एवं विनियम), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. कट फाइल।



(राधे मोहन)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)